

पत्रांक / /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि-अनुभाग/पत्रा0 /15-16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून :: 19 सितम्बर 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी पत्र अधिसूचना संख्या 809(1)/2015 /146(120)/XXVII-(8)/2008 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-III के क्रमांक 2 तथा 3 पर संशोधन करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड


3145

पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/ बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11- आई0टी0-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12-Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 13-डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 14-अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 15-प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
- 16- दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
- 17- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81-मोती बाजार देहरादून।
- 18- The whole sale dealers Association 14-आढ़त बाजार देहरादून।
- 19- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 20- कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 21-समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय देहरादून।



एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
मुख्यालय देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या / 146(120) / 2015 / XXVII(8) / 2008
देहरादून: दिनांक 16 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 714/2015/181(120) /XXVII(8)/08 दिनांक 14.09.2015 के क्रमांक 2 एवं 3 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संशोधन

अनुसूची-III के क्रमांक 2 एवं 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्-


क्रम संख्या	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर	प्रविष्टि
2	मोटर स्पिंट जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिंट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है	विनिर्माता या आयातकर्ता	25 प्रतिशत या 17 रू० प्रति ली० जो भी अधिक हो	अनुसूची III(2)
3	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिंट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	विनिर्माता या आयातकर्ता	21 प्रतिशत	अनुसूची III(3)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-809(1) / 2015 / 146(120) / XXVII (8) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे सर्वसम्बन्धित को अपने स्तर से सम्बन्धित को अवगत करा दें।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 809/146(120)/2015/XXVII(8)/2008, dated 16 September, 2015 for general information

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No 809/146(120)/2015/XXVII(8)/2008

Dehradun :: Dated 16 September, 2015

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Sr. No. 2 and 3 of Notification No. 714/2015/181(120)/XXVII(8)/08 dated 14-09-2015, issued by Government of Uttarakhand Finance Section 8:-

Ammdement

In Schedule III for the existing entry at serial 2 and 3, the following entry shall be substituted, namely -

Sr No.	Description of goods	Taxation Point	Rate of tax	Entry
2	Motor Spirit as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	Manufacturer or Importer	25 Percent or Rs 17 per/lit. which ever is greater	Schedule III (2)
3	Diesel as defined under the united Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	Manufacturer or Importer	21 Percent	Schedule III (3)

(Amit Singh Negi)
Secretary.